सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर—272202 उ0प्र0(भारत)

Website :www.suksn.edu.in,Email Id: registrar@suksn.edu.in

अधिसूचना

एतद्द्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि पत्रांक 667/सि0वि0वि0/2024–25 वित्त अनुभाग द्वारा जारी पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षा, पेपर सेटिंग तथा अन्य फर्मों के दयकों से टी0डी0एस0 कटौती से सम्बन्धित (व्यक्ति व फर्म) जिनका पैन व आधार कार्ड दिनांक 01.07.2023 से लिंक न होने की स्थिति में **टी0डी0एस0 10 प्रतिशत** एवं फर्मों से **2 प्रतिशत** के स्थान पर आयकर अधिनियम 1961 के Section 206AA के तहत **20 प्रतिशत** की कटौती की जानी है।

अतः सर्वसम्बन्धित से अपेक्षा की जाती है कि पैन एवं आधार कार्ड लिंक की स्थिति स्पष्ट कर सम्बन्धित प्रमाणपत्र की छायाप्रति सम्बन्धित देयक/बिल बाउचर के साथ संलग्न करने के उपरान्त ही अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करें, अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार 20 प्रतिशत आयकर कटौती (टी0डी0एस0) उपरान्त ही भुगतान सम्भव होगा एवं उक्त धनराशि का रिवेट भी सम्बन्धित को प्राप्त नहीं होगा।

परीक्षा नियंत्रक
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 2085/सि0वि0वि0/प0गो0/2026 दिनांक–29/01/26

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्राचार्य/प्राचार्या– समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय सि0वि0वि0 कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर को इस आशय से प्रेषित की उपरोक्तानुसार कटौती किया जाना सुनिश्चित करें।
2– कुलसचिव, सि0वि0वि0, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
3– वित्त अधिकारी, सि0वि0वि0, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
4– निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति महोदया को अवलोकनार्थ।
5– प्रभारी कोडिंग को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6– सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

परीक्षा नियंत्रक